

**अवैध कारोबार पर कार्यवाही नहीं जाने को लेकर किसान मोर्चा
प्रदेशाध्यक्ष ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने की दी चेतावनी**

जोहार छत्तीसगढ़—
कोरिया।

अब भी वक्त है जब पुलिस आपको नहीं सुन रही है तो अपने सफेद कुर्ते को बचाने स्टीफ। इन्हीं द्विये आपका सरकार में आपको ही पुलिस और आपका प्रशासन अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में कानकाम उपरोक्त बातें कोयलांचल में अवैध कारोबार कोयला उत्खनन, कबाड़, गांजा, शराब, जुआ सट्टा के खिलाफ कार्यवाही नहीं किए जाने को लेकर किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष श्याम खड्गी हारी जायसवाल ने बड़ा बाजार दुर्गा पंडाल प्रांगण के द्विस्तीय जगी धराना प्रदर्शन के दौरान कही। उन्होंने आगे कहा कि अवैध कारोबार को रोकने में आपकी पुलिस आपके एसपी नहीं सुनत हैं तो रायपुर में आप रहते हैं वहाँ मुख्य सचिव को शिकायत करते, ये चोरों हुये थे भी टीआईआई को ज्ञान देने से अप बचने वाले हैं। इन्हीं ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वहाँ हर तरफ कोयलांचल उपरब्ध है। कई खदानों को एसईसीएल के द्वारा कई कारणों से

सफलता की कहानी

जिले के 4702 कृषि मजदूर के प्रथम किश्त के रूप में 94 लाख 4 हजार रुशि की गई अंतरित

* छत्तीसगढ़ शासन की योजना की प्रशंसा कर
हुए हितग्राहियों ने दिया धन्यवाद



छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजबूरों को मदद देने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजबूर न्याय योजना संचालित कर योजना के तहत भूमिहीन कृषि वर्ष 7 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 3 लाख 55 हजार 402 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के रूप में 1 करोड़ 4 लाख 4 हजार की राशि जारी की है। इसी कड़ी में जशपुर जिले के पंजीकृत 4702 हितग्राहियों के

खाते में प्रथम किशत के रूप में 94,04,000 की राशि अंतरण किया गया है। जिसके अंतर्गत जनपद पंचायत जशपुर के 264, मनोरा के 206ए दुलदुला के 289, कुनकुरी के 648, कासिलेव के 248, फरसाबहार के 705, बीचा के 395 एवं पथलगांव के 1710 हितग्राहियों के खाते में 2.2 डजार की राशि अंतरित की गई है। हितग्राहियों ने छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिये यह योजना लाभदायक है और आर्थिक संबल मिलता है।

कलेक्टर एवं एसपी की उपस्थिति में बगीचा के ग्राम लौटा में जन शिकायत निवारण शिविर का हुआ आयोजन

ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ उठाने हेतु किया प्रोत्साहित



ज्ञानकारी प्रदान करने के लिए स्टैंटल लगाया गया।

जहां ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से सुनते हुए योजनाओं के संबंध में ज्ञानकारी प्रदान कर योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्रियों का वितरण कर लाभान्वित भी किया गया। इस अवसर पर एसडीएस बीचारा विजय प्रताप पर्खेराम भुगतान, राजस्व प्रकरण, स्वास्थ्य, जलजीवि विल सुधार जैसे अन्य समस्याओं के त्वरित निराकरण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित

मौन सत्याग्रह जिला प्रशासन का गजब खेल, आवेदन और अनुमति में नहीं कोई मेल

जोहार छत्तीसगढ़-
महाराष्ट्र।

आम आदमी के साथ ज्यादती
और प्रशासनिक अतिवाद चरम

किया। इस अवसर पर कृषि पशुपालन, मर्त्य, उद्यानिकी सहित अनेक विभागों द्वारा योजनाओं के जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयत्न लगाया गया।

जानकारी प्रदान करने के लिए स्टैंटल लगाया गया। जहां ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से सुनते हुए योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान कर योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्रियों का वितरण कर लाभान्वित भी किया गया। इस अवसर पर एसडीएस बीपीचा विजय प्रताप खेड़े-उत्तराखण्ड सीडीओ विनोद शर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के खण्ड स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

और अकेले ही मौन सत्याग्रह

करने का अनुमति दो गई है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मौन सत्याग्रह के प्रशासनिक अमल में कठोरता के रूप में विचरित है। उन्हें पोल खुलने और खुद के द्वारा बरती गई गंभीर लापरवाही पर दंडात्मक कार्यवाही होने का भय सत्ता रहा है। यही वजह है कि मौन सत्याग्रह जैसे शार्टिपॉर्ण आंदोलन की भी अनुमति देने में तरह-तरह का कुचक्कर रच रहे हैं। इसे प्रशासनिक स्वचालिता और गृह विभाग के दिशा निर्देश के प्रतिकूल बताते हुए इस अनुमति का एसविनय अवज्ञा करने का आनंदराम ने विविधता किया है।

हड्कप
मीडिया को जारी बयान में
आनंदराम प्रकारत्री ने कहा है
कि उनके मौन सत्याग्रह से
प्रशासन तंत्र में भीत ही भीतर
हड्कप मचा हुआ है। अपनी
लापरवाही और स्वेच्छाचारिता को
छुपाना नित्य नया सचर रच हुआ है। उन्होंने अपेक्षकर चौके बुझ
विहार गली में अपने पंजीयन प्रस
कार्यालय के समीप निरापद स्थल

四

અતિરિક્ત જિલ્લા દુષ્ટધિકારી

बलगान अफसरों से हो रही बदनामी

पत्र में पाच शत लाखा हुए से शत सर्वानुमति हो दी है। जिसमें 25 मई को पाच सूत्रीय मांगों के संबंध में मौन सत्याग्रह का उल्लेख किया गया है। जबकि अवेदन में 25 मई से मांगों पूरी होते तक मौन सत्याग्रह का उल्लेख है। जिसकी अनदेखी करने की वजह से इस अनुमति की सविनय अवज्ञा करने का अनंदामन प्राप्त होता है। अनुमति प्राप्त में एडीएम ने धरना स्थल पटवारी कार्यालय के समाने निर्धारित किया गया है। जबकि अपने प्रेस कार्यालय के पास खाली स्थान में धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगा था। यह वह स्थान है। जहाँ नजदीक में उनका प्रेस कार्यालय था। जिसे उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बलपूर्वक रिट्रायल टोड़-फॉड़ कर मलमा को छोड़कर आरोपी मुक्ति से फर रहा हो गए हैं। रिपोर्ट परसिटी कोतवाली पुलिस जांच के नाम पर कांगड़ी खानाभूति कर रही है। महिने भर बीतने को है अब तक इस काका बड़ा नमूना देखने को मिल रहा है। उन्हें बताया जा चुका है कि पूर्णग्रह से ग्रसित होकर की जारी रही इस तरह की कार्यवाही के विरोध में उन्होंने शक्तापन अभियान प्रारंभ किया है। जिसमें सत्तारूढ़ दल, विषय और संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को जापान सौंपकर लोकतात्त्विक व्यवस्था को छिप-भित्र करने वाले लोकतात्त्विक पर लगाम लगाने के समाने मांग की जा रही है। जिले में प्रशासनिक अतिवाद की स्थिति यह है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के निर्देश, उनके सचिवालय से जारी पत्रों पर भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बेलगाम अफ सर, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। सरकारी बदफोर्म में आप आदमी का काम नहीं हो रहा है। हर छोटे-बड़े काम के लिए सत्तारूढ़ दल के लोगों को अफ सरों को फोन करना पड़ता है।

